समाचार-प्रकाशनार्थ:-

संपत्तिकर व जलकर की राशि जमा कराकर अधिभार राशि में छूट का लाभ लिया

बकाया के रूप में 12 लाख 21 हजार की राशि निगम को प्राप्त हुई

रतलाम 31 अगस्त । षासन निर्देषानुसार नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19द्ध वैष्विक महामारी से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण प्रायः रोजगार में कमीए उद्योग-धन्धे में गिरावटए सर्विस सेक्टर आदि में षिथिलता परिलक्षित होने के फलस्वरूप निगम से संबंधित करोंए उपभोक्ता प्रभार आदि की बकाया राषि एक मुष्त जमा कराने में उत्साह दिखाते हुए अंतिम दिन 31 अगस्त को संपत्तिकर 8 लाख 75 हजार व जलकर 3 लाख 46 हजार कुल राषि 12 लाख 21 हजार की राषि जमा कराकर अधिभार (पेनल्टी) राषि में छूट का लाभ लिया।

अर्जून नगर में नगर निगम की भूमि का कराया समतलीकरण

रतलाम 31 अगस्त । अर्जून नगर में नगर निगम विकास शाखा की स्वीकृत योजना की भूमि जिसे नगर निगम द्वारा अतिक्रमण मुक्त कराया गया था जिस पर कतिपय लोगो द्वारा भूमि पर खेती करना पाये जाने पर आज 31 अगस्त मंगलवार को निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार ट्रेक्टर से भूमि का समतलीकरण कराया गया अब भूमि की फेंसिग का कार्य किया जायेगा।

ज्ञातव्य है कि दिसम्बर 2020 में अर्जून नगर में नगर निगम विकास शाखा की भूमि पर किये गये अतिक्रमण को हटाकर भूमि को कब्जे में लेने की कार्यवाही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशन मे की गई थी। उक्त भूमि 1982 में नगर निगम विकास शाखा की स्वीकृत योजना का हिस्सा है जिस पर किये गये अतिक्रमण को हटाकर निगम द्वारा कब्जे में लिया गया था।

नगर से निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन किया जा रहा है वजन

31 अगस्त को 79 टन कचरा जुलवानिया पंहूचा

रतलाम 31 अगस्त । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से घर-घर से पृथक-पृथक एकत्रित किया जा रहे गीले-सूखे कचरे व सड़को व नाले-नालियों की सफाई के दौरान निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन वजन किया जाकर जुलवानिया टे्ंचिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया जा रहा है जिसके तहत 31 अगस्त मंगलवार को 79 टन कचरा जुलवानिया टे्ंचिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया गया।

31 अगस्त मंगलवार को डम्पर व टे्क्टर ट्रॉली से 38830ए काम्पेक्टर सूखा कचरा 27810ए काम्पेक्टर गीला 11460ए मैजिक 1300 किलो इस तरह कुल 79400 किलो कचरा जुलवानिया टे्ंचिंग ग्राउण्ड पंहूचाया गया।

नो पार्किंग मंे खड़े 7 वाहनों को जब्त कर वसूला जुर्माना

रतलाम 31 अगस्त । नगर में ऐसे नागरिक जो कि अपने वाहनों को नो पार्किंग में खड़ा कर यातायात व्यवस्था को बाधित करते हैए उनके वाहन जब्त कर जुर्माना वसूलने की कार्यवाही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार चलाई जा रही है जिसके तहत 31 अगस्त मंगलवार को नो पार्किंग में खड़े 7 वाहनों को नगर निगम की क्रेन से जब्त कर संबंधितों से जुर्माना वसूला गया।

निगम आयुक्त श्री झारिया के निर्देशानुसार 31 अगस्त को चांदनी चौकए घांस बाजारए चौमुखी पुलए शहर सराय आदि क्षेत्रो में नो पार्किंग में वाहन खड़ा करने पर संदीप-भरतलाल राठौर निवासी नामली पर 500ए अरविन्द-कैलाशए दिलीप-भरतलाल दो बत्तीए हर्षित-अशोकसिंह सोलंकी दो बत्तीए जयेश-राजेश भरगट चांदनी चौकए करणसिंह-हीरालालए शेख शाहबाज हुसैन पर 200.200 रूपये का जुर्माना किया गया।

भैंसो के तबले संचालकों को तबेले हटाने हेतु दिये अंतिम निर्देष

रतलाम 31 अगस्त । रतलाम शहर को स्वच्छ-सुन्दर बनाने के लिए स्वच्छंद रूप से विचरण करने वाली भैंसों पर लगाम लगाने हेतु नगर में

संचालित भैंसो के तबलो को हटाया जाना है जिसके तहत निगम द्वारा नगर निगम सीमा क्षेत्र में 29 भैंसो के तबेलो चिन्हित कर लिया गया है जिसे हटाया जाना है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार भैंसो के तबलो को हटाया जाने के अभियान के तहत 31 अगस्त मंगलवार को स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंह ने स्वास्थ्य अमले के साथ 7 तबेलो पर जाकर तबेला संचालकों को तबले स्वंय हटाकर शहर से बाहर ले जाने के निर्देश दिये अन्यथा निगम द्वारा उन्हे तोड़ा जाकर राशि वसूल की जायेगी।

31 अगस्त मंगलवार को शरीफ खां-हसन खांए बशीर खां-हसन खां बंजारा बस्तीए बालकिशन शर्मा सूरजमल जैन नगरए कृष्णकुमार गुर्जर ऊंकाला रोडए हमीद-माजिद शैरानीपुराए रूआव-फकीर मोहम्मदए असलम बशीर शैरानीपुरा खेड़ा को तबेले स्वंय हटाने की समझाईश दी अन्यथा तबेलो को 01 सितम्बर को नगर निगम द्वारा हटाया जायेगा।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि नगर में स्वच्छंद रूप से विचरण करने वाली भैंस की संख्या बढ़ती जा रही इस हेतु शहर में स्थित अवैध रूप से संचालित सभी तबेलो का सर्वे नगर निगम द्वारा कराया जा चुका है। शहरी क्षेत्र में भैंसो का पालन करना निगम एक्ट के विपरित हैए ऐसे भैंस पालक जो कि शहरी क्षेत्र में अनुमति के विपरित तबेले का निर्माण कर भैंसो का पालन कर रहे है वे स्वंय अपने तबेलो को हटाकर शहर से बाहर ले जाये अन्यथा निगम द्वारा उन्हे तोड़ा जाकर राशि वसूल की जायेगी।

वार्ड प्रभारी प्रेमचन्द फतरोड़ का एक दिवस का वेतन काटा

रतलाम 31 अगस्त । वार्ड क्रमांक 5 स्थित रेल नगर की गली नम्बर 6 में गंदगी फोटो रहवासियों द्वारा व्हाट्स एप भेजे जाकर शिकायत करने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार वार्ड प्रभारी प्रेमचन्द्र फतरोड का एक दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त किये जाने का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।

मुख्य मार्गो पर अवैध रूप से लगाई गई गुमटियां हटाई जायेगी

सागोद रोड जैन स्कूल से होगी षुरूआत

रतलाम 31 अगस्त । शहर के मुख्य मार्गो के आसपास अवैध रूप से लगाई गई गुमटियों को हटाने व राजसात करने की कार्यवाही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार नगर निगम के राजस्व अमले द्वारा आज 01 अगस्त बुधवार से प्रारंभ की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि शहर के मुख्य मार्गो पर बिना परमिशन के गुमटियों को लगाया जाता है जिससे यातायात बाधित होने के साथ ही कचरा एवं गंदगी भी होती है ऐसी गुमटियों को आज 01 अगस्त बुधवार से हटाया जाकर राजसात किया जायेगा। गुमटी हटाने व राजसात करने की कार्यवाही सागोद रोड जैन स्कूल से प्रारंभ की जायेगी। अवैध गुमटी धारी अपनी गुमटियां स्वंय हटा लें अन्यथा गुमटियों को हटाकर राजसात किया जायेगा साथ ही जुर्माना भी वसूला जायेगा।

कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवर व हैल्पर एक दिवस का वेतन काटा

रतलाम 31 अगस्त । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया द्वारा वार्ड क्रमांक 12 की सफाई व्यवस्था के निरीक्षण के दौरान वार्ड में कचरा संग्रहण वाहन समय पर नहीं आने की रहवासियों द्वारा शिकायत किये जाने पर कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवर दिनेश-शंकरलाल व हैल्पर अजय-प्रकाश का एक दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त किये जाने का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।

दो कर्मचारियों को सौंपे नवीन दायित्व

रतलाम 31 अगस्त । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार कार्य व्यवस्था की दृष्टि से संजय बालोद्रा को वार्ड क्रमांक 49 व ॠषी-मोहन को वार्ड क्रमांक 30 का वार्ड प्रभारी नियुक्त किया गया।

खुले में गंदगी करने व कचरा पात्र नहीं रखने पर 42 व्यक्तियों पर जुर्माना

गंदगी करने वालो की सूचना स्पॉट फाईन दल को दें

रतलाम 31 अगस्त । कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूषोत्तम के निर्देशानुसार नगर में ऐसे दुकानदार व नागरिक जो कि खुले में कचरा डालकर शहर को गंदा करते हैं उन पर लगाम लगाने हेतु संबंधितों पर स्पॉट फाईन की कार्यवाही की जा रही है जिसके तहत 31 अगस्त को 44 व्यक्तियों पर जुर्माना किया गया।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार खुले में कचरा व गंदगी करने पर रामप्रसाद सैलाना बस स्टैण्ड पर 1000ए अशरफए राजेश कालेज रोडए सांईराम मेडिकलए ा नाहरपुरा पर 200.200ए बालाजी चायए वाधवानी चायए जितेन्द्र चाय स्टेशन रोडए प्रेमसिंहए श्याम टे्रडर्स राम मंदिरए जासमीन कंगन स्टोर जावरा रोडए शिरोमणी सीट कवरए सुपर इलेक्ट्रॉनिक कॉलेज रोडए सुफलम साड़ीए व्यासजीए संस्कार स्टोरए आदित्यए रईसए कविता गांधीए रावलए अवकार स्टोरए छावनीवालाए विरेन्द्रए अरिहंत घांस बाजारए छावनीवालाए मासुम डे्रसेसए माणक चौकए मौर्य नमकीन सैलाना बस स्टैण्डए कारू मामा कचौरी दो बत्तीए आनन्दए मालतीबाईए पकाशए भगवती कॉलेज रोडए रविराज टेलर्सए खान साहबए नितिन पर 100.100ए जय माँ अम्बेए जनता डेरी स्टेशन रोडए दिलीपए इनायत अलीए संजूए मुसद्दर खानए तुलसीए श्री शक्ति मोबाईल कॉलेज रोड पर 50.50 रूपये का स्पॉट फाईन कर भविष्य में गंदगी ना करने की समझाईश दी।

नगर निगम द्वारा नागरिकों से भी अपील की जाती है कि षहर को गंदा करने वाले नागरिकोंए दुकानदारों आदि की जानकारी स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंह मो. नं. 7471144930ए झोन प्रभारी श्री पर्वत हाड़े मो. नं. 7471144931ए श्री किरण चौहान मो.नं. 7471144932ए श्री विनय चौहान मो.नं. 8770535145ए श्री विराट मेहरा 9770326691ए स्पॉट फाईन दल के पवन झांझोट मो.नं. 7000128812ए आकाष षिन्दे मो.नं. 9424075393ए 7724981736

मनोज झांझोट मो.नं. 6268449110ए राकेष ललावत मो.नं. 7000128812 को देकर नगर को साफ-स्वच्छ बनाने में सहयोग प्रदान करें।

12501 मवेशियों को पकड़कर नगर के बाहर की गौशालाओं में भेजा

स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशियों को रात्रि में भी पकड़ा जायेगा

रतलाम 31 अगस्त । रतलाम नगर को साफ-स्वच्छ व सुन्दर बनाने हेतु नगर निगम द्वारा सार्वजनिक स्थानोए सड़कोए चौराहों पर स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशियों को दिन में पकड़े जाने के साथ ही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार निगम के स्वास्थ्य विभाग अमले द्वारा अब रात्री में भी मवेशियों को पकड़ा जायेगा क्योंकि मवेशी पालको द्वारा दिन में मवेशियों को बांधकर रखा जाता है तथा रात्रि में खुला छोड़ दिया जाता है जिससे शहर में गंदगी होती है।

कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूषोत्तम व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वास्थ्य अमले द्वारा अभियान चलाया जा रहा है जिसके तहत 31 अगस्त तक शहर के विभिन्न क्षेत्रों से 12504 मवेशियों को पकड़ा जाकर जिले की विभिन्न गौशालाओं में भेजा गया। अभियान के तहत 31 अगस्त को अलकापुरीए राम मंदिरए सैलाना बस स्टैण्डए वेदव्यास कालोनी क्षेत्र से 8 मवेशी निगम के स्वास्थ्य विभाग अमले द्वारा पकड़ा गया।

980 हितग्राही पीएम स्वनिधी के ब्याज मुक्त ऋण से लाभान्वित हुए

पथ विक्रेता 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करें

रतलाम 31 अगस्त । नगरीय क्षेत्र रतलाम के ऐसे पंजीकृत एवं पात्र पथ विक्रेता जिन्हे प्रथम कार्यशील पूंजी हेतु ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त नहीं हुआ है तथा जिन्होने प्रथम कार्यशील पूंजी का ऋण जमा करा दिया है उन्हे संकल्प से सिद्धी विशेष अभियान के तहत 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने हेतु नगर निगम द्वारा निगम के झोन कार्यालयों पर ऑन लाईन आवेदन भरे जा रहे हैं।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि प्रथम कार्यशील पूंजी हेतु राशि रूपये 10ए000ध्‍ ब्याज मुक्त ऋण हेतु 2429 हितग्राहियों द्वारा आवेदन प्रस्तुत किये गये है जिसमें से 1245 आवेदन स्वीकृत किये जा चुके है तथा 962 हितग्राहियों को ऋण उपलब्ध कराया गया है। इसी तरह द्वितीय कार्यशील पूंजी हेतु राशि रूपये 20ए000ध्‍ ब्याज मुक्त ऋण हेतु 58 हितग्राहियों द्वारा आवेदन प्रस्तुत किये गये है जिसमें से 43 आवेदन स्वीकृत किये जा चुके है तथा 18 हितग्राहियों को ऋण उपलब्ध कराया गया है।

नगर निगम द्वारा नगरीय क्षेत्र रतलाम के पथ विक्रेताओं से अपील की जाती है कि जिन्हे प्रधानमंत्री स्वनिधी योजना अन्तर्गत राशि रूपये 10ए000ध्‍ का ऋण प्राप्त नहीं हुआ है तथा ऐसे पथ विक्रेता जिन्हे प्रथम कार्यशील पूंजी राशि रूपये 10ए000ध्‍ का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त हो चुका है व जमा करा दिया है वे द्वितीय कार्यशील पूंजी राशि रूपये 20ए000ध्‍ का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करने हेतु नगर निगम के झोन कार्यालय अलकापुरी कम्युनिटी हॉलए डॉ0 अम्बेडकर मांगलिक भवन पोलोग्राउण्डए अमृत सागर उद्यान व हरमाला पम्प हाउस कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर शीघ्र ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करें।

ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु पथ विक्रेता को आवश्यक दस्तावेज के रूप में बैंक पास बुकए आधार कार्डए पथ विक्रेता पंजीयन कार्ड व आधार लिंक से मोबाईल नम्बर साथ लाना होगा।

नगर निगम के पंेषनरो को देना होगा जीवित प्रमाण-पत्र

रतलाम 31 अगस्त । संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास भोपाल के निर्देशानुसार नगरीय निकायों के पेंशनरों को प्रत्येक वर्ष के माह दिसम्बर में जीवित प्रमाण-पत्र लिया जावेगा।

नगर पालिक निगम रतलाम के समस्त पेंशनरों से अपील की जाती है कि वे माह दिसम्बर 2021 से प्रत्येक वर्षान्त में जीवित प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप में निगम की पेंशन शाखा में अनिवार्य रूप से जमा करावें जीवित प्रमाण-पत्र नहीं जमा कराने पर जनवरी से पेंशन भुगतान नहीं किया जावेगा।

नागरिक व दुकानदार कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन करें

रतलाम 31 अगस्त । कलेक्टर एवं प्रषासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूशोत्तम के निर्देशानुसार रतलाम जिले में कोरोना 2019 संक्रमण को नियंत्रण करने हेतु कोविड अनुकूल व्यवहार अनिवार्य किया गया है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने नागरिकोंए दुकानदारोए व्यावसायिक प्रतिश्ठान मालिकों से अपील की है कि सही तरीके से मास्क लगायें एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से करें। दूकानों एवं सार्वजनिक स्थानों में 6 नागरिकों से अधिक लोग इकट्ठे नहीं होवें। नियमों का पालन अनिवार्य रूप से कर कानूनी कार्यवाही से बचें।

गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक नहीं लेने पर कर्मचारियों के विरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 31 अगस्त । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवरए हैल्परए वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारियों को निर्देशित किया है कि वे नगर के प्रत्येक घरए दुकान आदि से प्रतिदिन गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक कचरा संग्रहण करना सुनिश्चित करें अन्यथा ड्रायवरए हैल्परए वार्ड प्रभारी व संबंधित झोन प्रभारी पद से हटाने व बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया यदि किसी भी वार्ड में मिक्स कचरा लेते हुए या कचरा संग्रहण वाहन में मिक्स कचरा डालते हुए पाये जाने पर संबंधित कर्मचारी को पद से हटाने व सेवा से बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा उन्होने निर्देशित किया कि प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घरए दुकानए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक-पृथक कचरा लिया जाये।

प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घरए दुकानए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक-पृथक कचरा लिये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया कि दोनो पालियों मंे वार्ड में कचरा संग्रहण वाहन जायेंगे तथा जब तक

पुरे वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा संग्रहित नहीं कर लिया जाता तब तक वाहन निगम के वर्कशॉप में जमा ना करायें। निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारी को निर्देशित किया है कि वे प्रतिदिन प्रमाणित करेंगे कि उनके वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा उठ चुका है।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के विरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 31 अगस्त । स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर-1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित हैए जिसके तहत वार्डो की सड़कए गलीए सार्वजनिक स्थलए नाले-नालियों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डो में गंदगीए कचरे के ढेरए नाले-नालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वार्डो की समुचित साफ-सफाई का दायित्व झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निश्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डो में साफ-सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

समाचार/ज.सं.वि./हेमन्त/31ण्08ण्2021ध्न.पा.निगमए रतलाम.